न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकदमा नम्बर :– 07/2023 जीसीएमएस नम्बर 2023/15

उनवान :–

राजस्थान सरकार जरिये अंकित कुमार खण्डेलवाल उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.)कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद धौलपुर

------ -------प्रार्थी।

बनाम

1–श्री बी.एल.त्यागी सेवा निवृत कर्मचारी(खरीद शाखा) आर.ई.सी.एल.फैक्ट्री धौलपुर
2–श्री विजय नारायण श्रीवास्तव प्रशासनिक अधिकारी आर.ई.सी.एल.फैक्ट्री धौलपुर

----------अप्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित " उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक प्रथम।
2– अप्रार्थीगण की ओर से :– श्री कुसमाकर गर्ग एडवोकेट

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय **दिनॉक :– 17.07.2023**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित " उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 06.10.2022 को रात्रि लगभग 11 बजे उपनिदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर ने मोबाईल द्वारा सूचना दी कि आर.ई.सी.एल. फैक्ट्री धौलपुर के यहॉ अवैध रूप से डीएपी उर्वरक का गैर कृषि (औद्योगिक) में उपयोग हो रहा है। सूचना मिलने के पश्चात कृषि विभाग की टीम तथा पुलिस उप अधीक्षक एवं कोतवाल धौलपुर मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुॅचकर सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया उक्त फैक्ट्री में अवैध रूप से कृषि क्षेत्र में काम आने वाली डीएपी फर्टिलाईजर का उपयोग स्लरी प्लांट में हो रहा था तथा मौके पर 275 किलोग्राम डीएपी उर्वरक पाया गया। अवैध रूप से डीएपी का उपयोग होने के कारण नियमानुसार उर्वरक जब्ती की कार्यवाही की गई। उपरोक्त डीएपी स्लरी प्लांट कार्यरत श्रमिक द्वारा बताया कि इसका उपयोग बारूद बनाने

में होता है जिसे मौके पर ही जब्त किया गया। जब्ती के पश्चात 275 किलोग्राम डीएपी उर्वरक को व्यवस्थापक धौलपुर कय विकय सहकारी समिति लि0 को सुपुर्द किये जाकर प्राप्ति रसीद ली गई। उक्त प्रकरण में कोतवाली थाना धौलपुर में एफआईआर संख्या 0535 दिनांक 07.10.2022 दर्ज कराई गई। उक्त प्रकरण में गैर कृषि क्षेत्र में डीएपी का प्रयोग उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लाज 25 का उल्लंधन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान एक्सप्लोसिव एण्ड कैमिकल्स लि0 मचकुण्ड रोड जिला धौलपुर के यहाँ से जब्तशुदा डी.ए.पी. 275 किलोग्राम का राजसात कर निस्तारण किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उनको जब्त शुदा डी.ए.पी. 275 किलोग्राम के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ।

अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री कुसमाकर गर्ग ने वकालतनामा पेश कर अप्रार्थीगण की ओर से नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण ने डीएपी उर्वरक का गैर कृषि (औद्योगिक) में उपयोग नहीं किया गया है। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 25 का कोई अपराध नहीं बनता है। अप्रार्थीगण डीएपी उर्वरक का फैक्ट्री में कृषि कार्य में उपयोग आने वाली डीएपी फर्टीलाइजर का उपयोग न तो मौके पर हो रहा था, और न ही कभी हुआ। इस कारण भी अप्रार्थीगण के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 25 कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, कि जब्ती की कार्यवाही के दौरान आर.ई.सी.एल. के किसी गोदामों में डीएपी उर्वरक नहीं मिला। इससे भी स्पष्ट है, कि आर.ई.सी.एल. के किसी औद्योगिक इकाई में डीएपी उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर डीएपी उर्वरक उपयोग औद्योगिक इकाइयों में होता तो डीएपी उर्वरक किसी न किसी गोदाम में अवश्य भारी मात्रा में पाया जाता। इस कारण भी अप्रार्थीगण के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 25 का सपठित धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम को कोई अपराध नहीं बनता है। बक्त निरीक्षण डीएपी उर्वरक का प्रयोग किस सामान (आर्टिकल) बनाने में हुआ अथवा हो रहा था। प्रा0पत्र एवं मौका पर्चा में अंकित नहीं है। इस कारण भी अप्रार्थीगण के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 25 का सपठित धारा 3/7 ई.सी. एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है। प्लांट एवं मैग्जीन एरिया मे वृक्षारोपण के तहत 500 पौधे लगाने थे इसके लिए सिविल प्रभारी का एक नोट परचेज विभाग के प्रभारी बनबारी लाल त्यागी के पास आया था जिसके सन्दर्भ में उन्होंने पौधे उपलब्ध करा दिए थे खाद के लिए धौलपुर मार्केट में पता लगाया तो उन्हें कहीं खाद नहीं मिला तो उन्होंने अपनी खेती के लिए अपने रिश्तेदार श्री रामप्रकाश पुत्र श्री मूलचंद त्यागी निवासी गांव वरहन जिला आगरा से 12 बैग मंगाये थे, उसमें से 6 बैग डीएपी उर्वरक के उनके घर रखे थे। वह उन्होंने अपने घर से लेकर कम्पनी में वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध करा दिये क्योंकि बी.एल. त्यागी एक कृषक परिवार से है और अपनी खेती के लिए खाद लेते रहते है। दिनांक 06.10.2022 को स्लरी प्लांट

में वृक्षारोपण का कार्य चल रहा था। इस लिए 6 बैग श्री बी.एल.त्यागी ने सिविल प्रभारी सुमित तिवारी को उपलब्ध करा दिये थे। उसमें से सिविल विभाग की लेवर ने एक बैग खोल कर आधा बैग वृक्षारोपण के कार्य में ले लिया था। उसके बाद वर्षात शुरू हो गई और वर्षात रूक–रूक होती गई और लेवर की पारी समाप्ति का समय हो गया। इस कारण लेवर डीएपी उर्वरक खाद को वृक्षारोपण की साईड पर छोडकर चली गई इसके बाद में प्लान्ट प्रभारी श्री राजेश शर्मा ने प्लांट के स्पेयर रूम (स्टोर) मे रखवा दिया। क्योकि बाहर रखने से डीएपी उर्वरक खराब हो जाता। जब्तशुदा डीएपी उर्वरक का प्लांट उत्पादन के कार्य में उपयोग नहीं किया गया था। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 25 का कोई अपराध नहीं बनता है। जब्तशुदा डीएपी उर्वरक का उपयोग पौधारोपण के अतिरिक्त किसी एक्सप्लोसिव्स बनाने में नहीं हुआ है, और न ही कभी किया। उक्त जब्तशुदा डीएपी उर्वरक उपयोग पौधारोपण के कार्य हेतु था। यदि न्यायालय श्रीमान उक्त जब्त शुदा डी.ए.पी. को राजसात करना चाहे तो उसमें भी हम अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। अतः कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौका पर्चा दिनॉक 07.10.2012 जब्ती की प्रमाणित छायाप्रति, सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति पेश की।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाव के समर्थन में जबाव के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया उक्त फैक्ट्री में अवैध रूप से कृषि क्षेत्र में काम आने वाली डीएपी फर्टिलाईजर का उपयोग स्लरी प्लांट में हो रहा था तथा मौके पर 275 किलोग्राम डीएपी उर्वरक पाया गया। अवैध रूप से डीएपी का उपयोग होने के कारण नियमानुसार उर्वरक जब्ती की कार्यवाही की गई। उपरोक्त डीएपी स्लरी प्लांट कार्यरत श्रमिक द्वारा बताया कि इसका उपयोग बारूद बनाने में होता है जिसे मौके पर ही जब्त किया गया है। प्रकरण में कोतवाली थाना धौलपुर में एफआईआर संख्या 0535 दिनांक 07.10.2022 दर्ज कराई गई है। प्रकरण में गैर कृषि क्षेत्र में डीएपी का प्रयोग उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लाज 25 का उल्लंधन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाव के समर्थन में क्रय बिल एवं अन्य कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह सिद्व हो सके कि जब्तशुदा माल आर.ई.सी.एल. फैक्ट्री में प्लांट एवं मैग्जीन एरिया मे वृक्षारोपण के तहत खरीद किये गये थे। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए में जब्त डी.ए.पी. 275 किलोग्राम को राजसात कर निस्तारण किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण ने डीएपी उर्वरक का गैर कृषि (औद्योगिक) में उपयोग नहीं किया है। वक्त निरीक्षण डीएपी उर्वरक का प्रयोग किस सामान (आर्टिकल) बनाने में हुआ अथवा हो रहा था, प्रा0पत्र एवं मौका पर्चा में अंकित नहीं है। प्लांट एवं मैग्जीन एरिया मे वृक्षारोपण के तहत 500 पौधे लगाने थे इसके लिए सिविल प्रभारी का एक नोट परचेज विभाग के प्रभारी बनबारी लाल त्यागी के पास आया था जिसके सन्दर्भ में उन्होंने पौधे उपलब्ध करा दिए थे खाद के लिए धौलपुर मार्केट में पता लगाया तो उन्हें कहीं खाद नहीं मिला तो उन्होंने अपनी खेती के लिए अपने रिश्तेदार श्री रामप्रकाश पुत्र श्री मूलचंद त्यागी निवासी गांव वरहन

जिला आगरा से 12 बैग मंगाये थे, उसमें से 6 बैग डीएपी उर्वरक के उनके घर रखे थे। वह उन्होंने अपने घर से लेकर आर.ई.सी.एल. कम्पनी में वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध करा दिये थे। जब्तशुदा डीएपी का प्लांट उत्पादन के कार्य में उपयोग नहीं किया गया था। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 25 का कोई अपराध नहीं बनता है। जब्तशुदा डीएपी उर्वरक का उपयोग पौधारोपण के अतिरिक्त किसी एक्सप्लोसिव्स बनाने में नहीं हुआ है, और न ही कभी किया। उक्त जब्तशुदा डीएपी उर्वरक उपयोग पौधारोपण के कार्य हेतु था। यदि न्यायालय श्रीमान उक्त जब्त शुदा डीएपी उर्वरक को राजसात करना चाहे तो उसमें भी हम अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया है जिसमें यह जाहिर होता है कि कृषि विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान आर.ई.सी. एल. फैक्ट्री में कृषि क्षेत्र में काम आने वाली डीएपी फर्टिलाईजर का उपयोग स्लरी प्लांट हेतु मौके पर मौके पर 275 किलोग्राम डीएपी उर्वरक पाया गया। अवैध रूप से डीएपी उर्वरक का उपयोग होने के कारण नियमानुसार उर्वरक जब्ती की कार्यवाही की गई। उक्त प्रकरण में गैर कृषि क्षेत्र में डीएपी का प्रयोग उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लाज 25 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह सिद्व हो सके, कि जब्तशुदा डीएपी उर्वरक आर.ई.सी.एल. फैक्ट्री में प्लांट एवं मैग्जीन एरिया मे वृक्षारोपण के तहत खरीद किये गये थे। उक्त प्रकरण में गैर कृषि क्षेत्र में डीएपी का प्रयोग, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लाज 25 का उल्लंधन है। अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि उक्त जब्त शुदा डीएपी को राजसात करना चाहे तो उसमें भी हम अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना एवं जब्तशुदा डी.ए.पी. 275 किलोग्राम उर्वरक को राजसात किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः प्रकरण में जप्त शुदा माल डीएपी 275 किलोग्राम उर्वरक को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उप निदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्त शुदा माल डीएपी 275 किलोग्राम उर्वरक को सुपुर्दगार से वापिस प्राप्त कर कय विकय सहकारी समिति के माध्यम से उचित मूल्य पर विकय कराकर राशि राजकोष में जमा करा कर पालना रिर्पोट एक माह में इस न्यायालय में भिजवाये। निर्णय की प्रति उप निदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर